फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामसिंह बनाम राज० सरकार

किस्म मुकदमा– दावा मु0नं0– 50/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/7/24	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। जवाब state प्राप्त। बहस दावा सुनी गई। वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/07/24 पेश हो। [signature]	
31/07/24	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– श्री यशवन्त मीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –[illegible] 50/2024

उनवान

1. रामसिंह मीना पुत्र किशनलाल मीना जाति मीना निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।
2. रामकली मीना पुत्र किशनलाल मीना पत्नि सत्यनारायण मीना जाति मीना निवासी सिकराय हाल निवासी शाहपुरा तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा।
2. अमरकली पुत्र किशनलाल पत्नि श्रीराम जाति मीना निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा राज0
3. नवलकिशोर पुत्र किशोरीलाल
4. मीठालाल पुत्र किशोरीलाल
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र किशोरीलाल

जाति मीना निवासी सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा ।

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री कैलाशचन्द्र बैंसला एड0

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

निर्णय

निर्णय दिनांक– 31.07.2024

दावा बाबत अधिघोषणा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। वादी अधिवक्ता दौराने बहस अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.2500 है0 जिसकी खातेदारी रामहेत पुत्र बंशी उर्फ दाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कि लाऔलादा फौत हो चुका है। तथा खसरा नम्बर 206 रकबा 0.2100 है0, 207 रकबा 0.3700 है0, 208 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9900 है, की खातेदारी रामहेत पुत्र बंशी उर्फ दाना के नाम हिस्सा 1/2 के रूप दर्ज रिकॉर्ड है तथा 1/6, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के नाम दर्ज है। वादपत्र रामहेत पुत्र बंशी उर्फ दाना के हिस्से की भूमि की अधिघोषणा हेतु पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 से कोई विवाद नहीं है सहखातेदार होने से उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। रामहेत पुत्र बंशी उर्फ दाना अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है। तथा रामहेत के पिता को दाना एवं बंशी दोनों नामों से जाना जाता था जिससे राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भी दाना एवं बंशी दोनों ही नाम अंकित हो गए जबकि दाना एवं बंशी दोनों नाम के एक ही व्यक्ति थे। तथा रामहेत के जीवनकाल में सभी प्रकार की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल रामहेत के भाई किशनलाल द्वारा की गई है तथा अब रामहेत के लाऔलाद फौत हो जाने से रामहेत के हिस्से की भूमि के विधिक वारीसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 है

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

लेकिन रामहेत के पिता का नाम दाना एवं बंशी दोनो ही दर्ज होने से उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.2500 है0 का सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 206 रकबा 0.2100 है0, 207 रकबा 0.3700 है0, 208 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9900 है में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित फरमाते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम का इन्द्राज किया जावे। तथा उक्त भूमि का तकास्मा कर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी पैदा नहीं करें।

वादी अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत की जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सिकराय का जवाब पत्रावली में संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश सजरा खानदान का तहसीलदार सिकराय के जवाब में समर्थन किया गया है एवं सही पाया गया है। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपने जवाब के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकित किया है कि रामहेत पुत्र दाना की अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है, मृतक रामहेत पुत्र दाना की फौत होने तक सेवा–सुश्रुषा देखभाल मृतक के छोटे भाई स्व0 किशनलाल पुत्र दाना के पुत्र रामसिंह द्वारा किया जाना अवगत कराया गया है। तथा रामहेत के पिता का नाम दाना एवं बंशी दोनो ही होना अवगत कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जमाबंदीयात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामहेत पुत्र बंशी एवं रामहेत पुत्र दाना दर्ज है जो कि लाऔलाद फौत होना बखूबी साबित है। तथा वादीगण द्वारा पेश सजरा खानदान के

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

सही होने से यह भी स्पष्ट है कि रामहेत पुत्र दाना उर्फ बंशी के भूमि के विधिक वारीसान स्व0 किशनलाल के वारिसान है। तथा जवाब स्टेट एवं पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस विनम्र मत पर भी है कि दाना एवं बंशी दोनो एक ही व्यक्ति थे। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.2500 है0 का सम्पूर्ण (प्रत्येक का हिस्सा 1/3) तथा खसरा नम्बर 206 रकबा 0.2100 है0, 207 रकबा 0.3700 है0, 208 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9900 है में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 (प्रत्येक का हिस्सा 1/6) को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार स्व0 रामहेत के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(यशवन्त मीना RAS)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
सिकराय जिला-दौसा (राज.)